

पुतिनिधि आदेशा दिनाके 17-6-14 पारित द्वारा श्री श्री शिक्षक रे
सदस्य राजस्व मण्डल म०पु० ग्वालियर पु०कु० नि० 1205-तोन/14
विरुद्ध आदेशा दिनाके 8-1-14 पारित द्वारा अर आयुक्ता सागर
सभाग सागर पु०कु० 516/बा-1-1/07-08 .

अश्वी पुत्र वैना अहिरवार
निवासा मिनौरा तहसील व जिला
टीकमगढ म०पु० अन्व-6
विच्यद
म०पु० शतन

--- आवेदकगण

--- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1203/111/2014

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला टीकमगढ़

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

17.6.2014

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 516/बी-121/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8 जनवरी 2014 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक के निगरानी में वर्णित तथ्यों पर प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि वर्ष 1984 के पूर्व से वह खसरा नंबर 9/9 रकबा 1.499 हैक्टर भूमि काविज होकर खेती कर रहे हैं निगरानीकर्तागण का किस्तबंदी खतौनी में संवत् 2033 से नाम आ रहा है। प्रकरण क्रमांक 41 अ 63/84-85 में आदेश दिनांक 27-12-85 से उक्त भूमि पर भूमिस्वामी का हक दर्ज किया गया है जो खसरा नंबर 9/9 रकबा 1.99 हैक्टर पर भूमिस्वामी है, किन्तु कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने वास्तविकता के विपरीत जाकर आदेश पारित किये हैं इसलिये निगरानी सुनवाई योग्य है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने जांच में पाया कि खसरा क्रमांक 9/9 के रकबा 1.499 हैक्टर पर प्रकरण क्रमांक 41 अ-63/1984-85 में पारित आदेश दिनांक 27-12-85 अंकित कर फर्जी खसरा प्रविष्टि की गई है तदनुसार

Amuray

उन्होंने प्रतिवेदन दिनांक 19-12-2005 प्रस्तुत कर कलेक्टर टीकमगढ़ को अवगत कराया है और कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदकगण के विरुद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 25 बी 121/07-08 पंजीबद्ध कर सुनवाई हेतु विधिवत् सूचना पत्र जारी किया है। सुनवाई के दौरान आवेदक यह प्रमाणित नहीं कर सके, कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा उन्हें भूमिस्वामी हक में मिला है न तो वह पट्टा प्रस्तुत कर सके और न ही तहसील न्यायालय के दायरे में प्रकरण क्रमांक 41 अ 63/84-85 का अंकन है, जिसके कारण कूटरचना करके फर्जी खसरा प्रविष्टि पाने से कलेक्टर द्वारा शासकीय अभिलेख दुरुस्त करने का निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 8-1-14 से कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 516/बी-121/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8 जनवरी 2014 स्थिर रहता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।



सदस्य